Adda247
GET IT ON Google Play

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 24-2026/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 12, 2026 (MAGHA 23, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 फरवरी, 2026

संख्या 01/07/2023–2CCI.— हरियाणा ग्रुप 'घ' कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) की धारा 26 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित करते हुए संशोधन हेतु अधिसूचित करते हैं :–

संशोधन

हरियाणा ग्रुप 'घ' कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) में, विद्यमान द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाती है, और यह इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।

द्वितीय अनुसूची

[धारा 10(1) देखें]

चयन के लिए मानदंड

1. ग्रुप 'घ' पदों से संबंधित उम्मीदवारों के नामों का चयन और सिफारिश, उन पदों को छोड़कर जहां न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिक से कम है, सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर की जाएगी।
2. सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर ग्रुप 'घ' के लिए 100% (पूर्णतः) सीईटी अंकों पर आधारित होगा।

   व्याख्या : 'सीईटी अंक' से अभिप्राय ग्रुप 'घ' हेतु सीईटी में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों से है।

Adda247 GET IT ON Google Play

3. (i) सामान्य पात्रता परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार दो भागों में विभाजित होगा –

   (a) 75% अंक–वितरण – सामान्य जागरूकता, तर्कशक्ति, मात्रात्मक योग्यता, अंग्रेजी, हिंदी तथा संबद्ध/संबंधित विषय;

   (b) 25% अंक–वितरण – हरियाणा का इतिहास, वर्तमान घटनाएँ, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि।

   (ii) ग्रुप 'घ' पदों के लिए प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा (मैट्रिक) स्तर का होगा।

नोटः वे अभ्यर्थी जिन्होंने दिनांक 12 जनवरी, 2024 को आयोजित ग्रुप–डी पदों की CET लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसकी वैधता 11 जनवरी, 2027 तक है, तथा वे अभ्यर्थी जो निकट भविष्य में उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, उनके द्वारा प्राप्त अंकों को अधिकतम 95 अंकों के सापेक्ष प्रतिशत में परिवर्तित किया जाएगा, ताकि CET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संयुक्त मैरिट सूची तैयार की जा सके।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Notification

The 12th February, 2026

No. 01/07/2023-2CCI.— In exercise of the powers conferred under section 26 of the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment by substituting the Second Schedule to the said Act, namely:-

AMENDMENT

In the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018), for the existing Second Schedule, the following Schedule shall be substituted and it shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

SECOND SCHEDULE

[See Section 10(1)]

CRITERIA FOR SELECTION

1. The selection and recommendation of the names of the candidates belonging to Group D posts except the posts where the minimum educational qualification is below Matriculation shall be done on the basis of Common Eligibility Test.

2. The Common Eligibility Test score shall include 100% (for Group D) CET marks.

   Explanations.— 'CET marks' means the marks obtained by an applicant in CET for Group D;

3. (i) The Common Eligibility Test syllabus shall be divided into two parts comprising—

   (a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, quantitative ability, English, Hindi and relevant or concerned subject(s), as applicable;

   (b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Environment, Culture etc. of Haryana.

   (ii) The question paper shall be of the level of secondary education (Matriculation level) for Group D posts.

Note.— For the candidates who have already qualified the CET written examination of Group D posts on 12th January, 2024 which is valid upto 11th January, 2027 and the candidates who will qualify in near future the marks obtained by the previous candidates out of maximum marks of 95 will be converted into percentage for the purpose of combined merit list of CET qualified candidates.

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

12407—C.S.—H.G.P., Pkl.

Adda247